वाराणसी विकास प्राधिकरण से सम्बन्धित दिनांक 08.10.2024 को वाराणसी शहर में प्रकाशित न्यूज पेपर", अमर उजाला, दैनिक जागरण, आज, हिंदुस्तान, ज्ञानशिखा टाइम्स, जागरूक एक्सप्रेस, जनसंदेश टाइम्स, न्यायाधीश, राष्टीय सहारा, तरुणमित्र न्यूज़," समाचार पत्र कटिंग का विवरण।

अमर उजाला–दि0 08.10.2024

सख्ती

बिना नक्शा पास कराए बनाए थे फ्लैट, वीडीए ने की कार्रवाई

तीन फ्लैट सील, अतिक्रमण ध्वस्त कराया

वाराणसी। वीडीए की टीम ने सोमवार को तीन फ्लैट समेत तीन अवैध निर्माण सील किए। इसके साथ ही एक अतिक्रमण ध्वस्त कराया गया। चेतगंज व दशाश्वमेध वार्ड में कार्रवाई की गई। चेतगंज में बिल्डर अनुज डिडवानिया की ग्रुप हाउसिंग में पांचवें तल के तीन अवैध फ्लैट सील किए गए। आरोप है कि फ्लैट बिना नक्शा पास कराए बनवाए गए हैं।

दशाश्वमेध के विशाल बरनवाल के गोदाम और भेलूपुर वार्ड के दो अवैध निर्माण सील किए गए। कमच्छा के अजय जैन के निर्माण को सील कर पुलिस अभिरक्षा में दिया गया। विजयनगर कॉलोनी में यश केजरीवाल के निर्माण को सील सील किया। लालपुर आवासीय योजना प्रथम चरण के ब्लाक ए में अतिक्रमण ध्वस्त कराया गया। शिवपुर वार्ड के संदीप कुमार सिंह ने यहां पर अतिक्रमण किया था। इस बारे में अनुज डिडवानिया ने कहा कि हम शहर से बाहर हैं। हमें कार्रवाई की जानकारी नहीं है। ब्यूरो

वरुणा के ग्रीन बेल्ट के सात अवैध निर्माण पर कार्रवाई

वाराणसी। वरुणा नदी के ग्रीन बेल्ट में लगातार तीसरे दिन भी सील की कार्रवाई की गई। वीडीए सचिव डॉ वेद प्रकाश मिश्रा की देखरेख में प्रवर्तन टीम ने वरुणा नदी के 50 मीटर ग्रीन बेल्ट क्षेत्र में आवासीय, अनावासीय भवनों का निरीक्षण किया। इस दौरान सात अवैध निर्माण सील किए। सिकरौल वार्ड के पहलु का पुरा के विद्या देवी के भूतल, शिवपुर के बड़ा गाँव, फुलवारियां में अज्ञात के भूतल व बाउंड्रीवाल के अवैध निर्माण, शिवपुर, बड़ा गाँव, फुलवारियां के शिवशंकर राय के बाउंड्रीवाल के अवैध निर्माण को सील किया गया। ब्यूरो

अवैध निर्माण करने वालों पर 80 हजार अर्थदंड

वाराणसी। अवैध निर्माण करने वालों पर 80 हजार रुपये का अर्थदंड लगा है। वीडीए सचिव डॉ वेद प्रकाश मिश्रा के अनुसार वीडीए की ओर से भेलूपुर वार्ड में अवैध निर्माण के खिलाफ की गई कानूनी कार्रवाई में एक महत्वपूर्ण निर्णय आया है। उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम की धारा के तहत वीडीए ने अदालत में शशि दीक्षित, तारा देवी के खिलाफ परिवाद दाखिल किया था। अदालत ने दोनों अभियुक्तों पर 40-40 हजार का अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड की अदायगी न होने पर 10 दिन के कारावास का प्रावधान है। ब्यूरो

दैनिक जागरण –दि0 08.10.2024

दो भवन स्वामियों पर लगाया 80 हजार रुपये का जुर्माना

वाराणसी : भेलूपुर वार्ड में वीडीए की ओर से अवैध निर्माण के खिलाफ की गई कार्रवाई में भवन स्वामी पर अर्थदंड लगाया गया है। जोनल अधिकारी प्रमोद तिवारी ने बताया कि वीडीए की ओर से भवन सील करने के साथ न्यायालय को प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना करने का अधिकार है। यूपी नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा-26(1) और 28(4) के तहत विकास प्राधिकरण ने सीजेएम न्यायालय में योजित परिवाद वीडीए बनाम शशि दीक्षित, 12 अगस्त-2024) और वीडीए बनाम तारा देवी, नौ अगस्त 2024 पर न्यायालय ने अभियुक्तों को न्यायिक अभिरक्षा में लिए जाने का आदेश दिया है। अदालत ने दोनों अभियुक्तों पर 40-40 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। जुर्माना राशि जमा नहीं करने पर 10 दिन के कारावास का प्रविधान है।

वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website:www.vdavns.com

दैनिक जागरण–दि0 08.10.2024

गोदौलिया चौराहे के बजाय अब दशाश्वमेध पर बने रोपवे स्टेशन

भारत माता मंदिर में निर्माणाधीन रोपवे स्टेशन ◦ जागरण

- मुख्यमंत्री की समीक्षा बैठक में स्थानीय विधायक डा. नीलकंठ तिवारी ने उठाया मामला
- कहा, रोपवे स्टेशन बनने से पुरातन शहर के चौराहे का मूल होगा प्रभावित

जागरण संवाददाता, वाराणसी : देश की पहली अर्बन रोपवे ट्रांसपोर्ट सुविधा काशी में आकार ले रही है। सिगरा से रथयात्रा के बीच दो टावर स्थापित हो चुके हैं तो वहीं काशी विद्यापीठ में रोपवे स्टेशन को अंतिम रूप दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री की समीक्षा बैठक के दौरान जनप्रतिनिधियों ने गोदौलिया पर बनने वाले रोपवे स्टेशन पर सवाल उठाया।

शहर दक्षिणी विधायक डा. नीलकंठ तिवारी, एमएलसी धर्मेंद्र राय समेत प्रतिनिधियों ने कहा कि रोपवे स्टेशन गोदौलिया पर बनने से चौराहे का मूल स्वरूप प्रभावित होगा। इस स्थल पर स्टेशन न बनाकर दशाश्वमेध या गिरजाघर चौराहे पर बनाया जाए। इससे गोदौलिया चौराहे का अस्तित्व बना रहेगा। इस क्षेत्र में एक मात्र खुला चौराहा यही है। संकरी गलियों से निकल कर हजारों लोग यहां दिन-रात सुकून की सांस लेते हैं। पूरी रात यहां रौनक रहती है। व्यापारी भी इसका विरोध कर रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने जनप्रतिनिधियों के इस सवाल को गंभीरता से लिया और इसकी डिजाइन जनप्रतिनिधियों के समक्ष रखने का निर्देश दिया। कहा कि इस मामले पर बैठकर चिंतन कर रास्ता निकाला जाए। स्विटजरलैंड की कंपनी बर्थोलेट रोपवे का निर्माण करा रही है। पहले चरण में कैंट रेलवे स्टेशन से रथयात्रा तक की सुगम यात्रा के लिए रोपवे का संचालन होना है। शेष कार्य दूसरे चरण में प्रस्तावित है। कुल लगभग 807 करोड़ रुपये की लागत से कैंट से गोदौलिया चौराहे तक बनने वाले रोपवे का गत वर्ष प्रधानमंत्री ने शिलान्यास किया था। रोपवे निर्माण का मुख्य उद्देश्य यही है कि कैंट स्टेशन से श्रीकाशी विश्वनाथ धाम पहुंचने का रास्ता सुगम हो सके। इसके मूर्तरूप लेने से श्रद्धालु आसानी से धाम पहुंच सकेंगे।

वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website:www.vdavns.com

दैनिक जागरण–दि0 08.10.2024

वीडीए ने वरुणा नदी ग्रीन बेल्ट में सात अवैध निर्माण किए सील

- दोबारा निर्माण कराने वालों के खिलाफ दर्ज कराएं मुकदमा, न हो लापरवाही
- उपाध्यक्ष ने सुपरवाइजर व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को नजर रखने को कहा

जागरण संवाददाता, वाराणसी : वरुणा नदी के डूब क्षेत्र में अवैध निर्माण करने वालों के खिलाफ वाराणसी विकास प्राधिकरण ने कार्रवाई करते हुए सात निर्माण को सील कर दिया। सील करने के साथ भवन स्वामियों को दोबारा निर्माण नहीं करने की चेतावनी दी गई। पुनः निर्माण मिलने पर उनके खिलाफ स्थानीय थाने में मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। वाराणसी विकास प्राधिकरण उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग ने सभी सुपरवाइजर और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को नजर रखने का निर्देश दिया है। इसकी मानीटरिंग जोनल अधिकारी करेंगे। लापरवाही बरतने वाले कर्मचारियों की रिपोर्ट बनाकर भेंजे।

जोन दो के जोनल अधिकारी संजीव कुमार ने बताया कि वरुणा नदी से 50 मीटर के अंदर डूब क्षेत्र में निर्माण पर पूरी तरह से रोक है। यह ग्रीन बेल्ट है। फिर भी कुछ लोग चोरी–छिपे निर्माण कर रहे थे। बारिश होने के साथ गंगा में जलस्तर बढ़ने पर वरुणा नदी के निचले इलाके में पानी पहुंचने लगता है। ऐसे में उन्हें राहत कार्य पहुंचाने में परेशानी होती है। आदमपुर वार्ड के कोनिया में अज्ञात द्वारा भूतल पर दीवाल व कालम बना रहा था। इसी वार्ड के कोनिया में हर्ष सोनकर भूतल पर, मनोज चौहान भूतल पर दीवाल बना रहे थे। इसी प्रकार जोन एक के सिकरौल वार्ड में पहलुकापुरा में विद्या देवी भूतल पर, शिवपुर वार्ड में बड़ागांव के फुलवारियां में अज्ञात द्वारा भूतल व बाउंड्रीवाल कराई जा रही थी। यही पर शिवशंकर राय अवैध तरीके से बाउंड्रीवाल व अखिलेश कुमार के तीन मंजिल अवैध निर्माण को सील करने के साथ पुलिस अभिरक्षा में सौंप दिया गया।

वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website:www.vdavns.com

दैनिक जागरण–दि0 08.10.2024

पांचवीं मंजिल पर बने तीन अवैध फ्लैट सील

जागरण संवाददाता, वाराणसी : वाराणसी विकास प्राधिकरण सचिव डा. वेद प्रकाश मिश्रा के निर्देश पर सोमवार को अवैध निर्माण करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई। जोन तीन के जोनल अधिकारी सौरभ देव प्रजापति ने बताया कि चेतगंज वार्ड के पिशाच मोचन में अनुज डिडवानिया का ग्रुप हाउसिंग बेसमेंट, ग्राउंड के अलावा चार मंजिल का नक्शा स्वीकृत है। उन्होंने एक मंजिल अतिरिक्त बनाया था। पांचवें मंजिल पर अवैध तरीके से बने तीन फ्लैट को सील करने के साथ चेतगंज पुलिस अभिरक्षा में सौंप दिया गया। दशाश्वमेध वार्ड में विशाल बरनवाल वीडीए से बिना मानचित्र स्वीकृत कराए गोदाम बनाए थे। उसे सील कर दिया गया है।

लालपुर आवासीय योजना प्रथम चरण ब्लाक-ए में रास्ते में अतिक्रमण करने पर बुलडोजर से तोड़ने की कार्रवाई की गई। जोनल अधिकारी प्रमोद कुमार तिवारी ने बताया कि भेलूपुर वार्ड में कमच्छा में अजय जैन स्वीकृत मानचित्र कराए बगैर बेसमेंट व भूतल का निर्माण करा रहे थे। इसी वार्ड में विजय नगर कालोनी में यश केजरीवाल तीन मंजिल अवैध निर्माण करा रहे थे।

आज –दि0 08.10.2024

अवैध निर्माणको लेकर ८० हजार रुपयेका लगा अर्थदण्ड

वाराणसी विकास प्राधिकरणको न्यायालयसे उस समय सफलता प्राप्त हुई जब अवैध निर्माणको लेकर दो अभियुक्तोंको न्यायिक अभिरक्षामें जानेका आदेश दिया गया। इस सम्बन्धमें अपर सचिव डाक्टर गुडाकेश शर्माने बताया कि भेलूपुर वार्डमें दो मकानोंके विरुद्ध अवैध निर्माणको लेकर मामला न्यायालयमें लम्बित था। लेकिन सीजेएम न्यायालयने शशि दीक्षित सहित एक अन्य अभियुक्तको ४०-४० हजार रुपयेका अर्थदण्ड लगाया। साथ ही अर्थदण्ड न चुकता करनेपर दस दिनके कारावासका भी प्राविधान रखा गया है। अपर सचिवने बताया कि इस प्रकारकी काररवाईसे बिना अनुमतिके निर्माण करा रहे लोगोंमें दहशत फैलेगी।

आज –दि0 08.10.2024

निर्माणाधीन एक दर्जन भवन हुए सील

वाराणसी विकास प्राधिकरणमें सोमवारको लगभग एक दर्जनसे अधिक बिना नक्शा पासके बनाये गये नवनिर्माणको सील कर दिया गया। सीलिंग कारंरवाईमें वरुणाके प्रतिबंधित क्षेत्रमें निर्माण हुए मकानोंमें आधा दर्जन शामिल हैं। भेलूपुर प्लाट नम्बर ४३, विजयानगर कालोनीमें नवनिर्मित मकानको सील कर दिया गया। इसी प्रकार चेतगंज और दशाश्वमेध वार्डोमें दो भवनोंके विरुद्ध सीलिंग कारवाई की गयी। चेतगंज वार्डमें अनुज डिडवानियाने चार तलेका निर्माण कराया था और पांचवें तलके निर्माण कार्यमें तेजी लायी जा रही थी।

शिकायतके आधारपर अभियन्ताओंकी टीमने ग्रुप हाउसिंगको सील कर दिया। वार्ड दशाश्वमेधमें विशाल बरनवाल बिना मानचित्र स्वीकृतिके निर्माण कार्य कर रहे थे। मौकेपर पहुंचे अधिकारियोंकी टीमने उसे भी सील कर दिया। वार्ड शिवपुरमें सन्दीप कुमार सिंह नामक भवन स्वामी, लालपुर आवासीय योजनाके ए ब्लाकमें रास्तेमें अतिक्रमण कर रखा था, जिसे पुलिसकी सहयोगसे हटाया गया।

वरुणा नदीके प्रतिबंधित क्षेत्रमें कुल सात अवैध निर्माणोंको रोकनेके बाद सील कर दिया गया।

वार्ड आदमपुर कोनियामें अवैध निर्माण किया जा रहा था जिसको विभागने सील कर दिया और इसी क्षेत्रमें मनोज चौहान नामक व्यक्तिके भवन निर्माणको

वरुणाके प्रतिबंधित क्षेत्रमें आधा दर्जन से ज्यादा भवनोंके खिलाफ कारंरवाई

सील कर दिया गया। सिकरौल वार्डके मौजा पहलूका पूरामें भवन सील किये गये। शिवपुर वार्डमें बड़ागांव फुलवरिया में निर्माण किया जा रहा था जिसे सील कर दिया गया। यहीं पर एक अन्य भवन स्वामी शिवशंकर रायके बाउंड्री वालको सील किया गया। यहांपर ही अखिलेश कुमारके दो तलेके भवनको निर्माण कार्य सील किया गया। कारंरवाईमें जोनल अधिकारी सिंह गौरव जयप्रकाश, जोनल अधिकारी संजीव कुमार, सौरभदेव प्रजापति, अवर अभियन्ता रवीन्द्र प्रकाश, जोनल अधिकारी प्रमोद तिवारी, अभियन्ता आर.के. सिंह सहित सुपरवाइजर प्रवर्तन दलके साथ-साथ निकटम थानेकी पुलिस फोर्स शामिल थी।

हिन्दुस्तान –दि0 08.10.2024

वरुणा किनारे सात अवैध निर्माण सील

वाराणसी, वरिष्ठ संवाददाता। वीडीए प्रशासन ने सोमवार को वरुणा नदी के ग्रीन बेल्ट में सात अवैध निर्माण सील कर दिए। वरुणा से 50 मीटर के दायरे में धड़ल्ले से अवैध निर्माण की शिकायत पर वीडीए की टीम निरीक्षण को पहुंची थी। इसी दौरान यह कार्रवाई की गई। सिकरौल वार्ड में भवन के ग्राउंड फ्लोर पर अवैध निर्माण सील किया गया।

वहीं शिवपुर वार्ड के फुलवरिया में दो अवैध निर्माण सील किए गए। यहीं पर दो मंजिला भवन सील करते हुए भवनस्वामी को चेतावनी दी गई। आदमपुर वार्ड के कोनिया में तीन अवैध निर्माण सील किए गए। जोनल अधिकारी सिंह गौरव जयप्रकाश एवं संजीव कुमार के नेतृत्व में पहुंची टीम ने वरुणा नदी के ग्रीन बेल्ट में निर्माण पर कानूनी कार्यवाही की चेतावनी दी गई। वीडीए उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग ने कहा कि वरुणा के दोनों ओर 50 मीटर ग्रीन बेल्ट निर्धारित है। यहां किसी निर्माण की अनुमति नहीं है।

चेतगंज में हाउसिंग प्रोजेक्ट के तीन फ्लैट सील

वाराणसी। वीडीए प्रशासन ने सोमवार को विभिन्न इलाकों में अवैध निर्माण सील किए। लालपुर आवासीय योजना के ब्लॉक एक में अतिक्रमण ध्वस्त किया गया। चेतगंज वार्ड में एक बिल्डर के ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट में अवैध रूप से पांचवीं मंजिल पर बने तीन फ्लैटों को सील किया गया। दशाश्वमेध वार्ड में बिना मानचित्र स्वीकृत कराए गोदाम का निर्माण कराया जा रहा था, उसे भी सील किया गया। भेलूपुर वार्ड में दो अवैध निर्माण को सील करते हुए भवनस्वामियों को चेतावनी दी गई।

ज्ञानशिखा टाइम्स–दि0 08.10.2024

भेलूपुर के अंतर्गत 02 अवैध निर्माण के विरुद्ध सील की कार्यवाही

वाराणसी। जोन–4, वार्ड–भेलूपुर के अंतर्गत कमच्छा में अजय जैन द्वारा बिना मानचित्र स्वीकृत कराए बेसमेंट एवं भूतल का निर्माण कराया जा रहा था , जिसे आज सील कर थाना भेलूपुर की पुलिस अभिरक्षा में दिया गया । उक्त के क्रम में वार्ड–भेलूपुर, प्लाट–43 विजयनगर कॉलोनी में यश केजरीवाल द्वारा में बिना मानचित्र स्वीकृत कराए निर्माण किये जाने पर त+2 के आवासीय निर्माण के विरुद्ध आज सील की कार्यवाही की गयी तथा स्थल को थाना भेलूपुर की पुलिस अभिरक्षा में सौंप दिया गया । मौके पर, जोनल अधिकारी श्री प्रमोद तिवारी अवर अभियन्ता श्री आर के सिंह एवं प्रवर्तन दल सहित समस्त सुपरवाइजर व पुलिस बल उपस्थित रहे । उपाध्यक्ष महोदय द्वारा आम जन मानस से अपील की गयी है कि वाराणसी विकास प्राधिकरण से ले–आउट स्वीकृत प्लॉट ही खरीदें तथा मानचित्र स्वीकृत कराये बिना किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य न करें अन्यथा की स्थिति में प्राधिकरण द्वारा सख्त कार्यवाही की जायेगी।

जागरूक एक्सप्रेस –दि0 08.10.2024

वीडीए की प्रभावी पैरवी से लगा 80 हजार का जुर्माना

जिला संवाददाता

वाराणसी। विकास प्राधिकरण (वी.डी.ए.) द्वारा भेलूपुर वार्ड में अवैध निर्माण के विरुद्ध की गई कानूनी कार्यवाही में एक महत्वपूर्ण निर्णय सामने आया है। उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा-26(1) और 28(4) के तहत वी.डी.ए. द्वारा मा. सी.जे.एम. न्यायालय, वाराणसी में योजित परिवाद (वी.डी.ए. बनाम शशि दीक्षित, 12.08.2024) और (वी.डी.ए. बनाम तारा देवी, 09.08.2024) पर न्यायालय ने अभियुक्तों को न्यायिक अभिरक्षा में लेकर दोनों अभियुक्तों पर 40-40 हजार का अर्थदंड का आदेश किया।

वीसी ने किया निरीक्षण- वीसी ने सीएम एंग्लो बंगाली इंटर कॉलेज के खेल मैदान का स्थल निरीक्षण किया तथा कार्य को गुणवत्तापूर्ण कराए जाने के निर्देश दिया। इसके साथ ही विधायक कैंट सौरभ श्रीवास्तव के द्वारा अवगत करवाये गए अन्य आवश्यक कार्यों के संबंध में प्रधानाचार्य एवं खेल अध्यापक से विचार विमर्श कर आगे के नए कार्यों में हाई मास्क लाइट, मंच, बाउंड्री वॉल के चारों तरफ खुली नाली, टॉयलेट, ग्रीन रूम, वॉल पेंटिंग, गेट से मंच तक जोड़ने वाला पाथवे व अन्य कार्य को कराए जाने के लिए संबंधित को निर्देश दिए ।

वरुणा नदी ग्रीन बेल्ट में कई निर्माण सील- आज उपाध्यक्ष के निर्देश के क्रम में जोनल अधिकारी सिंह गौरव जयप्रकाश, जोनल अधिकारी संजीव कुमार तथा दोनों जोनों के प्रवर्तन टीम के साथ वरूणा नदी के 50 मीटर ग्रीन बेल्ट क्षेत्र में एवं इसके समीपस्थ निमार्णाधीन आवासीय/व्यावसायिक भवनों का निरीक्षण किया गया। उक्त क्षेत्र में कुल 07 अवैध निर्माणों के विरुद्ध जोनल अधिकारी द्वारा मौके पर सील की कार्यवाही की गयी।

जनसंदेश टाइम्स –दि0 08.10.2024

वीडीए ने सात भवनों को किया सील

कार्रवाई

वरुणा नदी ग्रीन बेल्ट में तीसरे दिन भी चलाया अभियान

अधिकारियों ने पुलिस फोर्स की मौजूदगी में की कड़ी कारवाई

जनसंदेश न्यूज

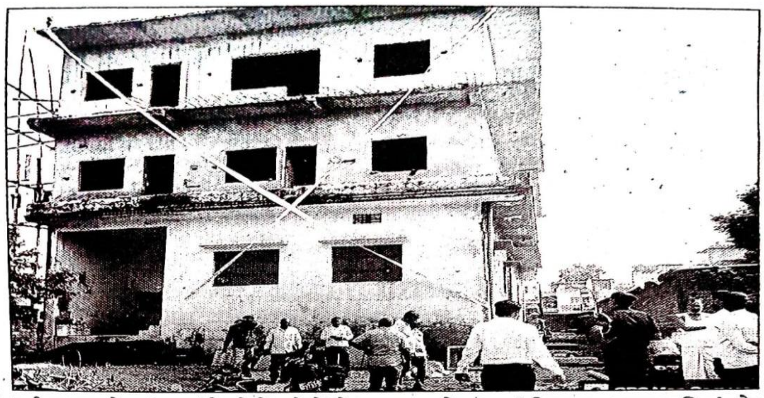

वाराणसी। काशी के वरुणा नदी के ग्रीन बेल्ट में निर्माण पर रोक के बाद भी अवैध आवासीय और व्यवसायिक भवनों के निर्माण को लेकर वीडीए ने तीसरे दिन भी जहां जबरदस्त अभियान चलाया वही 50 मीटर के दायरें में 07 भवनों पर सील की कड़ी कारवाई की तो हड़कंप मच गया।

इसको लेकर वीडीए की टीम जोनल अधिकारी जोन-1 और जोन-2 की टीम सोमवार को भी अचानक वरूणा नदी के ग्रीन बेल्ट में पहुंचा। जहां 50 मीटर की दायरें वाले ग्रीन बेल्ट वाले क्षेत्र और इसके समीप वाले इलाके में निमार्णाधीन आवासीय/व्यावसायिक भवनों का औचक निरीक्षण किया। टीम ने उन क्षेत्रों में हो रहे 07 अवैध निमार्णो को देखा और जानकारी हासिल की । इस दौरान प्रर्वतन दल के संग पहुंचे दोनों जोनों के जोनल अधिकारियों ने पुलिस फोर्स की मौजूदगी में वरुणा नदी के ग्रीन बेल्ट में जोन-1 में 04 तथा जोन-2 में 03 अवैध निर्माणों को सील कराया।

इस दौरान विभाग ने सिकरौल वार्ड के पहलुकापुरा निवासी विद्या देवी के भूतल, शिवपुर वार्ड के बड़ागांव फुलवारियां में अज्ञात द्वारा भूतल और बाउंड्रीवाल, उसी वार्ड के शिवशंकर राय के बाउंड्रीवाल, फुलवारियां के अंतर्गत अखिलेश कुमार द्वारा जी+2 के निर्माण पर तत्काल रोक लगा दी और भवनों को सील की।इसी क्रम में आदमपुर वार्ड के कोनिया में अज्ञात द्वारा भूतल पर दीवाल एवं कालम और उसी क्षेत्र में हर्ष सोनकर तथा मनोज चौहान द्वारा भूतल पर दीवाल एवं कालम के अवैध निर्माण पर कड़ी कारवाई करते हुए उसे सील कर दिया।

जनसंदेश टाइम्स –दि0 08.10.2024

एंग्लो बंगाली कॉलेज का होगा जल्द सुंदरीकरण

वाराणसी। वीडीए के उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग ने सोमवार को सीएम एंग्लो बंगाली इंटर कॉलेज पर पहुंचे और खेल मैदान का वखूबी स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने गुणवत्तापूर्ण कार्य कराये जाने और समय सीमा का ध्यान रखे जाने का निर्देश दिया। वीडीए उपाध्यक्ष ने कैंट विधायक सौरभ श्रीवास्तव के अवगत करवाये गये आवश्यक कार्यों के बारें में प्रधानाचार्य से जहां विचार-विमर्श किया; वहीं खेल अध्यापक से भी राय ली। उन्होंने कालेज परिसर में हाई मास्क लाइटें लगवाने, मंच और टायलेट बनवाने को कहा जबकि बाउंड्री वॉल के चारों तरफ खुली

निरीक्षण

लगेंगी मास्ट लाइटें बनेगा पाथवे, वाल पेटिंग और ग्रीन रूम

नाली, ग्रीन रूम के निर्माण किये जाने में देर नहीं किये जाने के साथ हीं वॉल पेंटिंग तथा गेट से मंच तक जोड़ने वाला पाथवे को बेहतर किये जाने के लिए संबंधित अधिकारी तथा ठेकेदार को निर्देश दिया। इस अवसर पर स्कूल के प्रधानाचार्य डॉ. अनुराग मिश्रा, सहायक अभियंता शिवाजी मिश्रा, अवर अभियंता संजय गुप्ता आदि लोग उपस्थित रहे।

न्यायाधीश–दि0 08.10.2024

वीडीए ने सील किया अवैध निर्माण

वाराणसी।जोन-3, वार्ड-चेतगंज व वार्ड-दशाश्वमेध के अंतर्गत अवैध निर्माण के विरुद्ध 07अक्टूबर को सील की कार्यवाही सम्पादित की गयीजोन-3, वार्ड-चेतगंज के अंतर्गत अनुज डिडवानिया द्वारा पूर्वनिर्मित स्वीकृत (ँ्रऊ4) ग्रुप हाउसिंग में अवैध रूप 5वें तल का निर्माण किये जाने पर 5 वें तल के 03 फ्लैट को आज दिनांक 07/10/2024 को सील किया गया । उक्त के क्रम में वार्ड-दशाश्वमेध के अंतर्गत विशाल बरनवाल द्वारा बिना मानचित्र स्वीकृत कराए गोडाउन का निर्माण किया जा रहा था जिसपर आज दिनांक 07/10/2024 को सील की कार्यवाही की गयी ।मौके पर, जोनल अधिकारी श्री सौरवदेव प्रजापति अवर अभियन्ता श्री रविन्द्र प्रकाश एवं प्रवर्तन दल सहित समस्त सुपरवाइजर व पुलिस बल उपस्थित रहे ।उपाध्यक्ष द्वारा आम जन मानस से अपील की गयी है कि वाराणसी विकास प्राधिकरण से ले-आउट स्वीकृत प्लॉट ही खरीदें तथा मानचित्र स्वीकृत कराये बिना किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य न करें अन्यथा की स्थिति में प्राधिकरण द्वारा सख्त कार्यवाही की जायेगी।

वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website:www.vdavns.com

न्यायाधीश –दि0 08.10.2024

बिना मानचित्र स्वीकृत कराये हो रहे अवैध निर्माण को किया गया सील

वाराणसी।जोन-4, वार्ड-भेलूपुर के अंतर्गत 02 अवैध निर्माण के विरुद्ध 07 अक्टूबर को सील की कार्यवाही सम्पादित की गयी।इसके तहत जोन-4, वार्ड-भेलूपुर के अंतर्गत कमच्छा में अजय जैन द्वारा बिना मानचित्र स्वीकृत कराये बेसमेंट एवं भूतल का निर्माण कराया जा रहा था , जिसे आज दिनांक 07/10/2024 को सील कर थाना भेलूपुर की पुलिस अभिरक्षा में दिया गया ।उक्त के क्रम में वार्ड-भेलूपुर, प्लाट-43 विजयनगर कॉलोनी में यश केजरीवाल द्वारा में बिना मानचित्र स्वीकृत कराए निर्माण किये जाने पर ऊ2 के आवासीय निर्माण के विरुद्ध 07अक्टूबर को सील की कार्यवाही की गयी तथा स्थल को थाना भेलूपुर की पुलिस अभिरक्षा में सौप दिया गया ।मौके पर, जोनल अधिकारी श्री प्रमोद तिवारी अवर अभियन्ता श्री आर के सिंह एवं प्रवर्तन दल सहित समस्त सुपरवाइजर व पुलिस बल उपस्थित रहे ।उपाध्यक्ष महोदय द्वारा आम जन मानस से अपील की गयी है कि वाराणसी विकास प्राधिकरण से ले-आउट स्वीकृत प्लॉट ही खरीदें तथा मानचित्र स्वीकृत कराये बिना किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य न करें अन्यथा की स्थिति में प्राधिकरण द्वारा सख्त कार्यवाही की जायेगी।

न्यायाधीश–दि0 08.10.2024

उपाध्यक्ष वाविप्रा द्वारा किया गया सीएम एंग्लो बंगाली इंटर कॉलेज के खेल मैदान का स्थल निरीक्षण

वाराणसी।वाराणसी विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग द्वारा 7 अक्टूबर को सीएम एंग्लो बंगाली इंटर कॉलेज के खेल मैदान का स्थल निरीक्षण किया गया एवं कार्य को गुणवत्तापूर्ण कराए जाने के निर्देश दिए गए। इसके साथ ही विधायक कैंट श्री सौरभ श्रीवास्तव जी के द्वारा अवगत करवाये गए अन्य आवश्यक कार्यों के संबंध में प्रधानाचार्य एवं खेल अध्यापक से विचार विमर्श कर आगे के नए कार्यों में हाई मास्क लाइट, मंच ,बाउंड्री वॉल के चारों तरफ खुली नाली ,टॉयलेट ,ग्रीन रूम ,वॉल पेंटिंग, गेट से मंच तक जोड़ने वाला पाथवे व अन्य कार्य को कराए जाने के लिए संबंधित को निर्देश दिए । मौके पर स्कूल के प्रधानाचार्य श्री डॉ. अनुराग मिश्रा ,सहायक अभियंता शिवाजी मिश्रा , अवर अभियंता संजय गुप्ता तथा संबंधित ठेकेदार मौजूद रहे।

न्यायाधीश –दि0 08.10.2024

ध्वस्त किया गया अवैध निर्माण

वाराणसी। उपाध्यक्ष वाविप्रा द्वारा प्रदत्त निर्देश के क्रम में वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी जोन-1 के लालपुर आवासीय योजना प्रथम चरण, ब्लार्क- के अंतर्गत अतिक्रमण के विरुद्ध ध्वस्तीकरण की कार्यवाही सम्पादित की गयी। इसके तहतजोन-1, वार्ड-शिवपुर के अन्तर्गत संदीप कुमार सिंह द्वारा लालपुर आवासीय योजना प्रथम चरण ब्लार्क- में रास्ते पर अतिक्रमण कर अवैध निर्माण किया गया था जिसे पूर्व में स्वयं हटाने हेतु निर्माण कर्ता को सूचित किया गया था परन्तु निर्माण कर्ता द्वारा नहीं हटाये जाने पर किये गये अवैध निर्माण को आज दिनांक 07.10.2024 को प्रवर्तन टीम एवं पुलिस बल के सहयोग से ध्वस्त किया गया। मौके पर जोनल अधिकारी सिंह गौरव जय प्रकाश, अवर अभियन्ता श्री अतुल मिश्रा, प्रवर्तन दल सहित समस्त सुपरवाइजर व पुलिस बल उपस्थित रहे। उपाध्यक्ष द्वारा आम जन मानस से अपील की गयी है कि वाराणसी विकास प्राधिकरण से ले-आउट स्वीकृत प्लॉट ही खरीदें तथा मानचित्र स्वीकृत कराये बिना किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य न करें अन्यथा की स्थिति में प्राधिकरण द्वारा सख्त कार्यवाही की जायेगी।

राष्ट्रीय सहारा–दि0 08.10.2024

वीडीए उपाध्यक्ष ने निरीक्षण कर गुणवत्तापूर्ण कार्य कराने का दिया निर्देश

वाराणसी। वीडीए उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग ने सीएम एंग्लो बंगाली इंटर कॉलेज के खेल मैदान का स्थल निरीक्षण किया एवं कार्य को गुणवत्तापूर्ण कराए जाने के निर्देश दिए। इसके साथ ही विधायक कैंट सौरभ श्रीवास्तव के द्वारा अवगत करवाये गए अन्य आवश्यक कार्यों के संबंध में प्रधानाचार्य एवं खेल अध्यापक से विचार विमर्श कर आगे के नए कार्यों में हाई मास्क लाइट, मंच, बाउंड्री वॉल के चारों तरफ खुली नाली, टॉयलेट, ग्रीन रूम, वॉल पेंटिंग, गेट से मंच तक जोड़ने वाला पाथवे व अन्य कार्य को कराए जाने के लिए संबंधित को निर्देश दिए। मौके पर स्कूल के प्रधानाचार्य डॉ. अनुराग मिश्रा, सहायक अभियंता शिवाजी मिश्रा, अवर अभियंता संजय गुप्ता तथा संबंधित ठेकेदार मौजूद रहे।

वीडीए ने ध्वस्त किया अवैध निर्माण

वाराणसी। वीडीए ने लालपुर आवासीय योजना प्रथम चरण, ब्लोक- के अंतर्गत अतिक्रमण के विरुद्ध ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की गयी। वार्ड-शिवपुर के अन्तर्गत संदीप कुमार सिंह द्वारा लालपुर आवासीय योजना प्रथम चरण ब्लाक- में रास्ते पर अतिक्रमण कर अवैध निर्माण किया गया था जिसे पूर्व में स्वयं हटाने के लिए निर्माण कर्ता को सूचित किया गया था लेकिन निर्माण कर्ता द्वारा नहीं हटाये जाने पर किये गये अवैध निर्माण को सोमवार को प्रवर्तन टीम एवं पुलिस बल के सहयोग से ध्वस्त किया गया।

राष्ट्रीय सहारा–दि0 08.10.2024

ग्रुप हाउसिंग के तीन फ्लैट समेत कई अवैध निर्माण सील

वाराणसी। वीडीए ने सोमवार को कई अवैध निर्माणों को सील किया। यह सील की कार्रवाई एक ग्रुप हाउसिंग समेत कई अवैध निर्माणों पर की गई। वीडीए ने वार्ड चेतगंज अंतर्गत अनुज डिडवानिया द्वारा पूर्वनिर्मित स्वीकृत (4) ग्रुप हाउसिंग में अवैध रूप से 5वें तल का निर्माण किये जाने पर 5 वें तल के 03 फ्लैट को सोमवार को सील कर दिया। उक्त के क्रम में वार्ड- दशाश्वमेध के अंतर्गत विशाल बरनवाल की तरफ से बिना मानचित्र स्वीकृत कराए गोडाउन का निर्माण किया जा रहा था जिसको सील कर दिया गया। इसी प्रकार वार्ड-भेलूपुर के अंतर्गत 02 अवैध निर्माण के विरुद्ध सील की कार्यवाही की गयी। भेलूपुर के अंतर्गत कमच्छा में अजय जैन की तरफ से बिना मानचित्र स्वीकृत कराए बेसमेंट एवं भूतल का निर्माण कराया जा रहा था, जिसे सील कर थाना भेलूपुर की पुलिस अभिरक्षा में सौंप दिया गया। उक्त के क्रम में वार्ड-भेलूपुर, प्लाट-43 विजयनगर कॉलोनी में यश केजरीवाल द्वारा बिना मानचित्र स्वीकृत कराए निर्माण किये जाने पर आवासीय निर्माण के विरुद्ध सील की कार्यवाही की गयी तथा स्थल को थाना भेलूपुर की पुलिस अभिरक्षा में सौंप दिया गया। इसी प्रकार वरुणा नदी ग्रीन बेल्ट में लगातार तीसरे दिन भी सील की कार्यवाही की गयी। वरूणा नदी के 50 मीटर ग्रीन बेल्ट क्षेत्र में एवं इसके समीपस्थ निर्माणाधीन आवासीय/ व्यावसायिक भवनों का निरीक्षण किया गया। उक्त क्षेत्र में कुल 07 अवैध निर्माणों के विरुद्ध सील की कार्यवाही की गयी।

राष्ट्रीय सहारा–दि0 08.10.2024

अवैध निर्माणकर्ताओं पर 80000 रुपए का अर्थदंड

वाराणसी। वीडीए की तरफ से भेलूपुर वार्ड में अवैध निर्माण के विरुद्ध की गई कानूनी कार्यवाही में एक महत्वपूर्ण निर्णय सामने आया है। उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा-26(1) और 28(4) के तहत वीडीए की तरफ से सीजेएम न्यायालय, वाराणसी में योजित परिवाद (वीडीए बनाम शशि दीक्षित, 12 अगस्त 2024) और (वीडीए बनाम तारा देवी, 09 अगस्त 2024) पर न्यायालय ने अभियुक्तों को न्यायिक अभिरक्षा में लिए जाने का आदेश दिया है। अदालत ने दोनों अभियुक्तों को 40,000 के अर्थदण्ड से दण्डित किया। अर्थदण्ड की अदायगी न होने पर 10 दिन के कारावास का प्रावधान भी रखा गया था। अभियुक्तों द्वारा कुल 80,000 रुपए का अर्थदण्ड न्यायालय में जमा कर दिया गया है।

वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website:www.vdavns.com

तरूणमित्र न्यूज–दि0 08.10.2024

वीडीए वीसी ने निरीक्षण कर कार्य गुणवत्तापूर्ण कराए जाने के दिए निर्देश

वीडीए वीसी पुलकित गर्ग निरीक्षण के दौरान अधीनस्थों को निर्देश देते हुए

तरुणमित्र न्यूज

वाराणसी। वाराणसी विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग ने सोमवार को सीएम एंग्लो बंगाली इंटर कॉलेज के खेल मैदान का स्थल निरीक्षण किया एवं कार्य को गुणवत्तापूर्ण कराए जाने के निर्देश दिए। इसके साथ ही विधायक कैंट सौरभ श्रीवास्तव के द्वारा अवगत करवाये गए अन्य आवश्यक कार्यों के संबंध में प्रधानाचार्य एवं खेल अध्यापक से विचार विमर्श कर आगे के नए कार्यों में हाई मास्क लाइट, मंच, बाउंड्री वॉल के चारों तरफ खुली नाली, टॉयलेट, ग्रीन रूम, वॉल पेंटिंग, गेट से मंच तक जोड़ने वाला पाथवे व अन्य कार्य को कराए जाने के लिए संबंधित को निर्देश दिए। मौके पर स्कूल के प्रधानाचार्य डा. अनुराग मिश्रा, सहायक अभियंता शिवाजी मिश्रा, अवर अभियंता संजय गुप्ता तथा संबंधित ठेकेदार मौजूद रहे।